

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

4 फरवरी 1988

एस० नो० 767, दिनांक 22 जुलाई 1988—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नियोजन सेवा में नियुक्ति, व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्न नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली "बिहार नियोजन सेवा नियमावली, 1987" कहलायेगी।
- (2) यह नियमावली उस तिथि से लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित की जायेगी।

2. परिभाषाएं।—जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विषय न हो इस नियमावली में—

- (1) "आयोग" से तात्पर्य है बिहार लोक सेवा आयोग,
- (2) "सरकार" से तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार,
- (3) "राज्यपाल" से तात्पर्य है बिहार-राज्यपाल,
- (4) "सेवा का सदस्य" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी पद पर मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत की गयी हो; इसमें नियम 4 के खंड (1) में उल्लिखित किसी पद पर पहले से नियुक्ति किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं; और
- (5) "सेवा" से तात्पर्य है बिहार नियोजन सेवा।

3. प्रास्थिति (स्टेटस)—बिहार नियोजन सेवा राज्य सेवा होगी।

4. सम्मर्ग—(1) इस सेवा में निम्नलिखित पद रहेंगे :—

- (क) संयुक्त निदेशक (नियोजन),
- (ख) उप-निदेशक (नियोजन),
- (ग) सहायक निदेशक (नियोजन);
- (घ) जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी,
- (ङ) ऐसे अन्य पद जो नियोजन सेवा के अन्तर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा सृजित किये जायेंगे।

- (2) सरकार सेवा की प्रत्येक कोटि में सृजित होने वाले पदों की संख्या को निर्धारित करेगी तथा सेवा में अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी अथवा किसी भी पद को स्फुटित या रिक्त रख सकेगी, जिसके लिये इस सेवा का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

भाग 2—भर्ती।

5. भर्ती का श्रोत।—इस सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति—

- (क) इस नियमावली के भाग 3 के नियमों के अनुसार आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और/या
- (ख) इस नियमावली के भाग 4 के नियमों के अनुसार सरकारी सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।

6. रिक्तियों का निर्धारण।—सरकार प्रतिवर्ष निर्णय करेगी कि सेवा की विभिन्न कोटियों में उस वर्ष सीधी भर्ती और/या प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कितनी होगी :
परन्तु संयुक्त निदेशक (नियोजन), उप-निदेशक (नियोजन) और सहायक निदेशक (नियोजन) की सभी रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। यदि प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध नहीं रहे तो इनमें से कोई भी पद राज्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अस्थायी रूप से भरा जा सकेगा :
परन्तु यह और कि जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी की सभी रिक्तियां प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा 25:75 के अनुपात में भरी जायेंगी।

भाग 3—सीधी भर्ती ।

7. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा।—सरकार प्रतिवर्ष नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा की प्रत्येक कोटि में प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन आयोग करेगा और शैक्षणिक योग्यताएं, उम्र-सीमा आदि वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। इसके लिये न्यूनतम उम्र-सीमा 22 (बाईस) वर्ष एवं अधिकतम उम्र-सीमा 30 (तीस) वर्ष निर्धारित है।

8. सेवा में नियुक्ति।—नियम 7 के अन्तर्गत आयोग जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी उनकी नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सरकार द्वारा ऐसी जांच, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के बाद किया जायेगा जो लोक सेवा में नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार के सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने के लिए आवश्यक समझे जायेंगे। किन्तु ऐसी नियुक्ति अनिवार्य रूप से आयोग द्वारा अनुशंसित वरीयता-क्रम के अनुरूप ही की जायेगी और किसी उम्मीदवार को तबतक नहीं छोड़ा जायेगा जबतक कि उसके विरुद्ध उसे लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार देने का कोई ठोस आधार न हो।

भाग 4—प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ।

9. (क) इस सेवा में विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन इस नियमावली के अधीन ऐसी प्रोन्नति के योग्य व्यक्तियों के बीच से नरीयता के आधार पर किया जायेगा किन्तु जो प्रयोग्य हैं, उन्हें छोड़ दिया जायेगा। उक्त पद पर आयोग के साथ परामर्श करने के उपरान्त ही प्रोन्नति दी जायेगी।

(ख) भ्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियोजन पक्ष में मौलिक रूप में या अथवा निम्नलिखित ग्रहता रखने वाले आराजपतित व्यक्ति श्रेणी-2 (जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे :—

- | | |
|--|---|
| (1) कनीय नियोजन पदाधिकारी | ∴ कनीय नियोजन पदाधिकारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा। |
| (2) शोध सहायक | } अपने-अपने पद पर कम-से-कम 3 वर्ष की सेवा तथा नियोजन पक्ष में कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा। |
| (3) तकनीकी सहायक | |
| (4) सहायक (प्रवर कोटि) | |
| (5) अधिमान प्रवर कोटि (उच्चवर्गीय लिपिक) | |
| (6) व्यावसायिक विशेषज्ञ | |

10. जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे। सहायक निदेशक (नियोजन) के पदाधिक उप-निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे तथा उप-निदेशक (नियोजन) के पदाधिक संयुक्त निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

11. संयुक्त निदेशक (नियोजन) एवं उप-निदेशक (नियोजन) के पद प्रवर्णन पद (सेलेक्शन पोस्ट) होंगे तथा इन पदों पर प्रोन्नति हेतु उम्मीदवारों की पात्रता पर मुख्य रूप से उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी सम्बर्गीय वरीयता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

12. प्रोन्नति हेतु आरम्भिक वेतन निर्धारण।—सेवा के किसी पदाधिकारी की निम्नतर कोटि से उच्चतर कोटि में मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापक्ष रूप से प्रोन्नति होने पर उनका वेतन उस समय लागू सरकारी नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा।

भाग 5—सेवा की शर्तें ।

13. परिवीक्षा-अवधि।—(क) सेवा की मौलिक रिक्तियों पर की जानेवाली सभी नियुक्तियां, चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा की जाय या प्रोन्नति द्वारा परिवीक्षा पर की जायेंगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्षों की होगी।

(ख) परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक पदाधिकारी से सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षाओं या जांच परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(ग) यदि परिवीक्षा की अवधि में किसी पदाधिकारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतो जनक नहीं पाया जाय तो यथास्थिति उसे पदोन्मत्त अथवा अपने मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा अथवा यदि सरकार ऐसा विचार करे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।

22
37

(घ) इस सेवा के किसी पद पर किसी व्यक्ति की स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति की अवधि सरकार द्वारा उक्त पद के लिए निर्धारित परिवीक्षा अवधि में परिगणित की जा सकेगी।

(ङ) परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर पदाधिकारी को सम्पुष्ट किया जा सकेगा बशर्त कि उसने विहित विभागीय परीक्षा पास कर ली हो तथा सरकार उसे सम्पुष्ट के योग्य समझती हो। किन्तु यह खण्ड केवल वैसे पदाधिकारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति इस नियमावली के प्रवर्तन के पश्चात् हुई हो।

15. विभागीय परीक्षा।—सम्पुष्ट के पूर्व प्रत्येक पदाधिकारी के लिए निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है:—

- (क) जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित होगा।
- (ख) कोई भी पदाधिकारी, सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति हेतु तबतक योग्य नहीं समझा जायगा जबतक कि वह सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण न हो जाय।
- (ग) इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि को या उसके पश्चात् इस सेवा में नियुक्त कोई भी पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि के भीतर अपनी प्रथम वेतनवृद्धि की निकासी तबतक नहीं कर सकेगा जबतक वह उक्त वेतनवृद्धि की तिथि के पूर्व विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो गया हो।

टिप्पणी—इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस सेवा में नियुक्त किसी पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत एवं उस समय लागू अनुदेश को परिधि के भीतर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दी जा सकेगी।

15. विभागीय परीक्षाओं के विषय एवं पाठ्यक्रम सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

16. दक्षता रोक।—(क) इस सेवा के किसी भी पदाधिकारी को उसके वेतनमान को पहली दक्षता रोक पार करने की अनुमति तबतक नहीं दी जायगी जबतक वह निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाय एवं सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि वह अपनी पदस्थिति के अनुसार कार्य सम्पादन करने में सक्षम है।

(ख) सेवा के किसी भी सदस्य को उसके वेतनमान की दूसरी दक्षता रोक पार करने की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक कि—

- (i) उसका कार्य संतोषजनक न पाया जाय।
- (ii) उसने अपने कार्यों में निश्चित रूप से योग्यता एवं निष्ठा न दिखायी हो।

(ग) यदि इस सेवा के किसी पदाधिकारी को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे इसकी लिखित सूचना दी जायगी।

17. बरीयता।—सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की बरीयता का निर्धारण सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जायगा।

18. सामान्य।—इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उपबधित स्थिति का छोड़कर इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवक के लिए विहित समुचित नियमों, जो लक्ष्य समझ प्रवृत्त हों, द्वारा विनियमित की जायगी।

(सं० 11स्थाप-2009187—2916)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रज भूषण सहाय, सचिव।

4 फरवरी 1988

एस०ओ० 768—एस०ओ० 767, दिनांक/22 जुलाई 1988 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(सं० 11स्थाप-2009187—2916ए)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रज भूषण सहाय, सचिव।

